FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलक्टर (SDO) बायतु .... मुकाम ....

किरताराम .... बनाम धामणाराम वगैरा ....

किस्म मुकदमा रा० आवेदन 111,128 RTA नं. 361/19 .... सन 2019

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
10/12/19	प्रार्थी/~~वादी~~/अपीलांट के वकील श्री धामणाराम सारण ने यह प्रार्थना पत्र/~~वाद~~/अपील धारा 111,128 RTA राजस्थान काश्तकारी/भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी /प्रतिवादी/रेस्पोडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 30/12/19 को पेश हो। विवेक व्यास 10.12.2019 सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	
30/12/19	प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त। जिसे शामिल पत्रावली किया गया। अतः मिशल इन्तजार होकर आगामी दिनांक 14/01/2020 को पेश हो। विवेक व्यास सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	
14/01/2020	प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगण बावजूद तामील अनुपस्थित/ न्यायालय समय तीन बार आवाज लगाई गई अंतिम आवाज 5.45 pm पर लगाई गई विप्रार्थीगण स्वयं या उनकी ओर से कोई अधिवक्ता उपस्थित नहीं ~~था~~ हुआ लिहाजा विप्रार्थीगण अनुपस्थित रहने से उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रार्थी के अधिवक्ता ... विवेक व्यास सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.12.18 19:03:32 IST
Reason: SelfAttested

पत्रावली ... 2020 / 1056
आवेदन संख्या – 361/19
प्रार्थीगण

पत्रावली बहस सुनी गई प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा बताया की प्रार्थी व विपक्षीगणो के खातेदारी खेत सेहा सेर आये हुए की प्रार्थी व विपक्षीगणो के खातेदारी खेतो के बिच जो पुरानी मार्ट व कोठी आये हुए थे जो वर्तमान मे आंधियो की वजह से बिखर गये है जिससे प्रार्थी को अपने खातेदारी खेतो का सही ज्ञान नही हो पा रहा है। बरसात होने पर विपक्षीगण प्रार्थी के खेतो को तोड़कर उसमे काश्त कर लेते है। जिससे प्रार्थी व विपक्षीगणो के मध्य खेत के सेहो को लेकर हमेशा तनाजा बना रहता है। इस कारण प्रार्थी को अपने खातेदारी खेतो की पक्की पैमाइशबंदी करवाना आवश्यक है। इसलिए प्रार्थी का पैमाइशबंदी प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर पैमाइशबंदी आदेश किया जावे।

अतः प्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन पर प्रार्थी का पैमाइशबंदी आवेदन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार बायतु को कमिश्नर नियुक्त व सम्बन्धित भू अभिलेख निरीक्षक को सहायक कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि आप स्वयं या सहायक कमिश्नर से प्रार्थी के खातेदारी खेतो की पक्की पैमाइशबंदी मौके पर कमिश्नर शुल्क जमा कराकर करें। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली हो, पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो, दाखिल दफ्तर हो।

(हस्ताक्षर)
सहायक कलक्टर
(SDO) बायतु

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.12.18 19:03:32 IST
Reason: SelfAttested

राजस्थान–सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बायतु

क्र / वाद / 2020 / 1056 दिनांकः– 14/01/2020

जस्व आवेदन संख्या – 361 / 19

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
श्री किरताराम पुत्र राजुराम जाति–जाट, निवासी–मीठियातला, तहसील–बायतु, जिला–बाड़मेर		श्री घमण्डाराम पुत्र ठाकराराम वगैरा 7 जातियान्–जाट, निवासीयान्– मीठियातला, तहसील–बायतु, जिला–बाड़मेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128, 111 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

आदेश

प्रार्थी के खातेदारी खेत मौजा मीठियातला पटवार हल्का बायतु पनजी के खेत खसरा नम्बर 807 / 280 रकबा 06.14 बीघा की भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है। खातेदार को यह अधिकार है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान / नेखमबंदी करा सकता है। लिहाजा प्रार्थी का आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार बायतु को कमीशनर व संबंधित भू अभिलेख निरीक्षक को सहायक कमिशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि कमिशनर स्वयं या सहायक कमिशनर से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर निर्धारित कमिशनर शुल्क 500 /– जमा कराकर करें तथा पालना रिपोर्ट पेश करें। अपेक्षित होने पर संबंधित थानाधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता हैं।

(विवेक व्यास)
उपखण्ड अधिकारी बायतु

क्रमांक / वाद / 2019 / 1057 – 61 दिनांकः– 14-01-2020

प्रतिलिपि :–निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार, बायतु।
2. पटवारी हल्का, बायतु पनजी को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्री किरताराम पुत्र राजूराम।
4. विप्रार्थीगण श्री घमण्डाराम पुत्र ठाकराराम वगैरा 7
5. थानाधिकारी, पुलिस थाना, बायतु।

उपखण्ड अधिकारी बायतु

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.12.18 19:03:32 IST
Reason: SelfAttested